



मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कार्यालय न सिध्ति



पत्रांक - MeDA/24-25/P/2541-1

दिनांक :- 11/11/2024

सेवा में,

मैसर्स सरस्वती सागर
द्वारा पार्टनर श्री वरूण अग्रवाल
207, सरस्वती प्लाजा शिवाजी रोड,
मेरठ।

विषय- ग्राम नूरनगर मेरठ के खसरा सं० 160पार्ट, 161पार्ट, 164पार्ट, 165/1पार्ट, 165/2पार्ट, 167पार्ट, 170पार्ट, 174पार्ट, 175पार्ट, 245पार्ट, 246पार्ट व 250पार्ट के सरस्वती ग्रीन्स के फेज-1 कुल क्षेत्रफल 41374.50 वर्ग मी० नेट क्षेत्रफल 39443.30 वर्ग मी० पर शमन तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ग्राम नूरनगर मेरठ के खसरा सं० 160पार्ट, 161पार्ट, 164पार्ट, 165/1पार्ट, 165/2पार्ट, 167पार्ट, 170पार्ट, 174पार्ट, 175पार्ट, 245पार्ट, 246पार्ट व 250पार्ट के सरस्वती ग्रीन्स के फेज-1 कुल क्षेत्रफल 41374.50 वर्ग मी० नेट क्षेत्रफल 39443.30 वर्ग मी० पर प्रस्तुत शमन तलपट मानचित्र के क्रम में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने की शर्त के साथ प्रश्रुत स्थल पर शमन मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गई है:-

1. बाह्य विकास शुल्क ₹ 4,15,57,461.00, लेबर सेस ₹ 4,37,958.00, भावी ग्रामीण विकास शुल्क ₹ 14,61,997.00 शमन शुल्क ₹ 16,78,110.00, शैल्टर फीस ₹ 46,74,000.00, मानचित्र शुल्क ₹ 30,000.00 कुल धनराशि ₹ 4,98,39,526.00 मानचित्र निर्गत से पूर्व प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
2. अवशेष आन्तरिक विकास कार्य के सापेक्ष 15 प्रतिशत विक्रय योग्य भूमि 3069.71 वर्ग मी० को प्राधिकरण के पक्ष में बंधक कर पंजीकृत मोर्टगेज डीड प्रस्तुत करनी होगी तथा बंधक भूखण्ड स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने के सापेक्ष समानुपातिक रूप से अवमुक्त किये जायेंगे। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. बाह्य विकास शुल्क के परिपेक्ष्य में दिये गये प्रार्थना-पत्र के दृष्टिगत बाह्य विकास शुल्क का 40 प्रतिशत धनराशि ₹ 1,66,22,985.00 प्राधिकरण कोष में एकमुश्त जमा कराना होगा एवं अवशेष 60 प्रतिशत धनराशि ₹ 2,49,34,477.00 दो वर्ष की 06 किश्तों में ब्याज सहित जमा कराने हेतु समान धनराशि के 06 पोस्ट डेटिड चैक प्रस्तुत करने होंगे एवं इसके समतुल्य भूमि रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से प्राधिकरण में बंधक रखनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. कालोनी के आन्तरिक विकास कार्य को तीन वर्ष में पूर्ण कराने हेतु प्राधिकरण के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने पर प्राधिकरण से नियमानुसार कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. कालोनी के समस्त विकास कार्य तीन वर्ष में पूर्ण होने पर कालोनी को नगर निगम को हस्तांतरित कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा। कालोनी के नगर निगम को हस्तांतरित होने तक आन्तरिक विकास कार्यों का रख-रखाव स्वयं आपको करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य यू.पी.पी.सी.एल के मानकों के अनुरूप करना होगा व वांछित क्षमता का प्रवर्तक लगाने हेतु निशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. कालोनी में अग्नि सुरक्षा हेतु फायर हार्डिड्रेन्ट लगाने होंगे। इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. सर्विसेज प्लान के अनुसार स्थल पर विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं को मानकों के अनुरूप विकसित करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. भू-स्वामित्व सम्बन्धी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी एवं भविष्य में किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में आप स्वयं उत्तरदायी होगी, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. भविष्य में यदि किसी विभाग द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो आपको उसका निराकरण कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. तलपट मानचित्र में दर्शित सडकों के किनारे वृक्षारोपण शासनादेश के अनुसार करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. किसी भी सरकारी भूमि (चकरोड व नाली) व सम्पत्ति अतिक्रमण आप नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. यदि भविष्य में कोई देयता आती है तो आपको उसे तत्काल प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. नगर निगम, मेरठ, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, मेरठ व अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए. संख्या-21/2014 में अलग अलग तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1760/पी0एस0एम0एस0/2016 दिनांक 18.11.2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ-5-206-29 रिट/2014 दिनांक 08.11.2016 से जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन करना होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण करना एवं विभिन्न मदों में आरोपित शुल्क प्राधिकरण कोष में पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें।